

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गूजरावर्सीटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/3542

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(री) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : के.एस. पैरामेडीकल कॉलेज, गुज़ारुड़ी का नाका, लश्कर ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. विनायक सिंह तोमर, जन्तु विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थी।
- प्राचार्य, के.एस. पैरामेडीकल कॉलेज, गुज़ारुड़ी का नाका, लश्कर ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

K. S. Pernamedical College

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे साधित हो।



ग्राम : यूनीवॉर्टी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4338

दिनांक: 06/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के एस. पैरामेडीकल कॉलेज, ग्वालियर (0751-2401011) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.पी.टी., एवं डी.एम.एल.टी. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थाची सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) डॉ. वीणा अग्रवाल, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

(0751-2442828)

(2) डॉ. श्रीमती टोणपे, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

(3) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपातित प्रभाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में टी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रभाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रभाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त नियारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए गहाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की रस्तुरियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सुनाता पर अवधार गुणसंचय औरावी
विश्वविद्यालय के नाम से ही सिखा जाए ज
कि शिरी अब व्यापकरी के नाम है।



प्राप्त : शुभेन्दु कुमार
दृश्यमाला : (0751) 2341696
संपर्क : (0751) 2442829
फैसला : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसाहित,
जीवाली विश्वविद्यालय
गतिविधि
दृष्टानंक: ८५८/सम्बन्धित/ २००९/ ४९४६

Page: 28/05/12

// सूचना //

// सूचना //
जीवाजी विश्वविद्यालय, ज्यालियर से सम्बद्ध कॉ.एस. पैटेन्टेडीफल कॉलेज, ग्राहिलर (0751-2401011) को सब
2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.पी.टी. एवं डी.एम.एल.टी. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता
हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कृतपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ज्यालियर वे विश्वविद्यालय
अधिकारियम 1973 के परिविवर 27(10) के अन्तर्गत विभागुसार विवेकण समिति का गठन किया है :-
10. विवेकण समिति की तिवि ज्यालियर। (संयोजक)

(1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जागरूक., वाराणसी।
 (0751-2442836)
 (2) डॉ. आट.एस. बाजोरिया, आचार्य, जी.आट.एम.सी., व्यालियर।
 (3) डॉ. अरुण जैन, आचार्य, जी.आट.एम.सी., व्यालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेशम् 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण करें, घरेहर इसि, वांछित दैशिक/अदैशिक स्टॉफ़, प्राधिकार संस्था से प्राप्त अनुमति/अनाप्रति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रन्थालय एवं यात्राम्/आईडीएन्स तथा पिछले सत्र में दी गई सर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/दैशिक एवं अदैशिक स्टॉफ़ की अधिकारी का प्रमाण एवं देतल आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंदाह अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने वे 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्वाक्षर कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि उक्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय से जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करना उत्तमतापूर्वक विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

करते का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संबोधक का होगा। समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायकी होगा। विस्तारी युक्त आवृक्ष, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। वहाँ महाविद्यालय 03 जाह में विरीक्षण बही कराता है तो समिति स्वयं विस्तर हो जावेगी और पुक्क विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खर्चपर रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण की अपेक्षा विद्या जावेगा। परिविवरण 27(1)(7) के अनुसार सम्बलता प्राप्त किए विद्या घटों को प्रवेश देना अवश्यकित है।

विरीक्षण लगिति के साथ सम्बन्धित शब्दों में कार्यत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशासनी लकर जापान व वस्तुस्थिति से विरीक्षण लगिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण लगिति के उद्दमों को दीए / डीए / जापानी महाविद्यालय द्वारा देय होता।

3mip's
मुख्यालय

-8-

- प्रतिलिपि :-**

 - समस्त सदस्यों की ओर सूचबार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर मेज़कर आज्ञा है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अवधि करावे की व्यवस्था करें।
 - आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुड़ा भवन, भोपाल
 - कूलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ज्यालियर
 - कूलपति के संविध / कूलसंचिव के विभी राहग्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ज्यालियर

प्रिया राजनीति